न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
तोडाराम V/s बंशीसिंह
म्यूटेशन अपील संख्या 60/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10/12/2020	वकुलाय ने कोरोना महामारी से दिनांक 15/12/2020 तक न्यायिक कार्यवाही मे भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। श्रीमान P.O सा० चुनाव कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/12/2020 को पेश हो।	
28.12.20	वकुलाय उप०। वकुलाय ने बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/1/21 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
18.1.21	वकुलाय ने अधिवक्ता संघ के चुनाव के संबंध में न्यायिक कार्यवाही मे भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। श्रीमान P.O साहब प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 8/2/21 को पेश हो।	
8/2/21	वकुलाय उपस्थित। अपीलांट धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम बासनी लूणकरण तहसील मेडता का म्यूटेशन संख्या 83 जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 06.02.75 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर अपील दिनांक 10.10.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 पुष्पादेवी ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट ने सूची [illegible] मिसल हो। वकील अपीलान्ट की ओर [illegible] प्रस्तुत [illegible] वेदन अधीन धारा 5 मयाद अधि[illegible] गई। वकील अपीलान्ट ने बहस [illegible] कथन किया कि [illegible] जैर नामान्तरकरण अपीलान्ट की बिना जानकारी व बिना [illegible] किया है। एक पक्षीय आदेश पारित [illegible] है और अ[illegible] वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा था तथा अपीलान्ट अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में दिनांक 03.10.2019 को रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि पर आये और अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने व जबरन कब्जा करने की धमकियां दी और भूमि अपने नाम होने का कहा तो अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान दिया और	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
म्युटेशन अपील संख्या 60/2019 तोड़ाराम v/s बंशीसिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

8/2/21 (लगातार)

आवश्यक नकले हेतु आवेदन पत्र पेश किया व नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 09.10.2019 को नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 10.10.2019 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से अन्दर मयाद यह अपील पेश की गई है। हालांकि फर्जी व कूटरचित तरीके तैयार किये गये रेकर्ड व आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है ऐसे आदेश के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है फिर भी सुरक्षा हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का यह आवेदन पत्र पेश किया है। जैर अपील आदेश के खिलाफ अपील पेश करने में हुई देरी का कारण वाजिब व संतोषजनक होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है।

वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका ने (वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या–1 बंशीसिंह व 2 नैनी देवी) ने सूची दस्तावेज के साथ तहसीलदार (भू.अ.) मेड़ता द्वारा धारा 19 आर.टी. एक्ट के तहत वादग्रस्त खसरा नम्बर 98 में रणजीतसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपुरोहित का नाम खातेदारी में दर्ज करने बाबत आदेश पृष्ठाकंन कमांक–1700 दिनांक 12.6.74 की नोटेरी से अटेस्टेड प्रति प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि नामान्तकरण जैर अपील दिनांक 06.02.1975 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) मेड़ता द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण जैर अपील की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रणजीतसिंह के नाम खातेदारी दर्ज करने के उक्त आदेश दिनांक 12.06.74 की प्रति में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि *"भैराराम फौत हो चुका है उसके लड़के टोडाराम ने बावजूद सूचना के कोई एतराज पेश नहीं किया।"* इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त कार्यवाही की जानकारी शुरू से ही रही है। अपीलान्ट ने जानबूझ कर रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से लगभग 45 वर्ष पश्चात यह अपील मय मयाद प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है। वकील अपीलान्ट ने विलम्ब के संबंध में कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नही किया है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने रेस्पोडेन्ट तहसीलदार मेड़तासिटी, रियांबडी की ओर से बहस में वकील रेस्पोडेन्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण जैर अपील आदेश के विरूद्ध अपील लगभग 45 वर्ष बाद अत्यधिक विलम्ब से मयाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलान्ट का कथन कि दिनांक 03.10.2019 को रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि पर आये ओर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने व जबरन कब्जा करने की धमकिया दी और भूमि अपने नाम होने का कहने पर अपीलान्ट को नामान्तकरण जैर अपील की जानकारी हुई। उक्त कथन की प्रमाणिकता के संबंध में अपीलान्ट ने स्वंय के शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए वकील अपीलान्ट को नामान्तकरण जैर अपील की जानकारी 03.10.2019 को करीब 45 वर्ष पश्चात होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। वकील रेस्पोडेन्ट का कथनानुसार भी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रणजीतसिंह के नाम करने के दौरान अपीलान्ट द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया था। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त कार्यवाही की पूर्व से ही जानकारी रही थी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधीन धारा 5 मयाद अधिनियम [illegible] आदेश की प्रति एवं मूल नामान्तकरण तहसीलदार(भू[illegible] नागौर को भिजवाते हुए आदेश की प्रति तहसीलदार मेड़ता [illegible] भी पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश सुनाया बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सो[illegible])
जिला कलक्टर नागौर

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)